SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)

Case No64/18 Sum	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	.State
Name , parentage,caste and address of accused	
आकाश पुत्र समरथसिंह निवासी सलमपुरा थाना	
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission	
आपने इस न्यायालय के प्र0क0 55/15 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ विरूद्ध ब्रजेशसिंह व अन्य में न्यायालय में अपनी साक्ष्य के दौरान यह जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढा कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि दप्रस की धारा 344 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।	
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।	
The plea of the acc जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।	(A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.) cused and his examination (if any)
हस्ताक्षर अभियुक्त	(A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 05.05.18 को घोषित)

- 01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे दप्रस की धारा 344 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- 02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी आकाश पुत्र समस्थिसंह को दप्रस की धारा 344 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रूपये 500 / (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है।
- 03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को 15 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
- 04. जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)